न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्रसिंह शेखावत आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 354 / 2021

अर्न्तगत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 04.04.2022

सरकार जरिये भानूप्रतापसिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जयपुर राज0

बनाम

1 दिवाकर शर्मा पुत्र स्वं0श्री पी0एल0 शर्मा एफबीओ एण्ड जरनल मैनेजर (ए0डी0एम0) मैसर्स श्री सिको प्राईवेट लिमिटेड खसरा सख्या 331,343,344,347,348,362,363,364,366 ग्राम पडासोली तहसील मौजमाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग, कोटा साखून राजमार्ग दूदू जयपुर

निवास स्थान – 113 आर एफ सी कालोनी वैशाली नगर जयपुर राज0

2 इशाब खान पुत्र दीन मोहम्मद नोमिनी मैसर्स श्री सिको प्राईवेट लिमिटेड खसरा सख्या 331,343,344,347,348,362,363,364,366 ग्राम पडासोली तहसील मौजमाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग, कोटा साखून राजमार्ग दूदू जयपुर

निवास– चौधरी का बास कारोली अलवर 301028

3 मैसर्स श्री सिको प्राईवेट लिमिटेड खसरा सख्या 331,343,344,347,348,362,363,364,366 ग्राम पडासोली तहसील मौजमाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग, कोटा साखून राजमार्ग दूदू जयपुर

उपस्थित अधिवक्ता – मुकेश चौधरी

अर्न्तगत धारा 52 सपठित धारा 49 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

परिवाद अर्न्तगत धारा 52 सपठित धारा 49 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 सरकार जरिये भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जयपुर राज0 द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है–

1 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजठ में 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एंव निदेशालय के आदेश क्रमाक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 475 दिनांक 10.08.2011द्वारा केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है। जिसका गजट नोटिफिकेशन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

दिनांक अप्रेल 11, 2012 के गजट भाग 2(क)पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉं न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2 सह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.08.2016 को समय 12.20 पी0एम0 पर मैसर्स श्री सिको प्राईवेट लिमिटेड खसरा सख्या 331,343, 344,347, 348,362, 363,364,366 ग्राम पडासोली तहसील मौजमाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग, कोटा साखून राजमार्ग दूदू जयपुर का खाद्य कारोबारकर्ता एवं जनरल मैनेजर (एडीएम) होना बताया । वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

3 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु फर्श पर रखे mustard oil [mangal] kachi Ghani के 500मि0ली0/455 ग्राम के लगभग 1000 गत्ता पैक कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 32 पीस)में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर खाद्य पदार्थ mustard oil[mangal]kachi Ghani के 500 मि0ली0/455 ग्राम की 04.पैट बोतल खाधकारोबारकर्ता एवं जनरल मैनेजर (एडीएम) दिवाकर शर्मा को 200/रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं जनरल मैनेजर (एडीएम) के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एंव तस्दीक कर स्वंय परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये खरीद रसीद मूल संलग्न परिवाद है।

4 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 उ की प्रतियॉं तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं जनरल मैनेजर (एडीएम) तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे दिवाकर शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वंय परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं जरनल मैनेजर (एडीएम) दिवाकर शर्मा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए मूल संलग्न है।

5 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पदार्थ mustardoil [mangal] kachi Ghani के 500 मि0ली0/455 ग्राम की 04.पैट बोतल पर तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर स्टेट डी ओ के कोड एवं क्रमांक ईई – 942 दर्ज किया । प्रत्येक लेबल पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं जरनल मैनेजर (एडीएम) तथा गवाहान के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर करवाये । चार नमूना भागों में अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर स्टेट डी ओ जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या ईई– 942 नियमानुसार चार नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्ये क नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव जरनल मैनेजर (एडीएम) के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। सील बन्द नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

6 यह कि परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य करोबार कर्ता एवं जरनल मैनेजर (एडीएम) तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे दिवाकर शर्मा एवं गवाहान भी पढकर सुनाकर व समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वंय परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न परिवाद है।

7. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅंच कर फार्म संख्या 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउठर कवर मे सील बन्द कर स्टेट डी0ओ0 एंव संयुक्त निदेशक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वां0 सेवायें राजस्थान जयपुर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल परिवाद के साथ संलग्न है।

8 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की स्टेट डी0ओ0 एवं संयुक्त निदेशक निदेशालय चिकित्सा एवं स्था0 सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांक 369 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट से एल0एस0 /2534/एक्ट/2016/327 दिनांक 20.9.2016 के के अनुसार खाधकारोबारकर्ता एंव जरनल मैनेजर (एडीएम) द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ mustard oil[mangal]kachi Ghani का नमूना misbranded होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न परिवाद है।

9 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैसर्स श्री सिको प्राईवेट लिमिटेड खसरा संख्या 331,343, 344, 347,348,362,363,364,366 ग्राम पडासोली तहसील मौजमाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग, कोटा साखून राजमार्ग दूदू जयपुर द्वारा मौके पर प्राप्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न परिवाद है।

10 श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक निदेशालय चिकित्सा एवं स्था0 सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/सी.टी./ स्वीकृती/2017/57 दिनांक 27.03. 2017 के द्वारा परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

11. यह कि उक्त प्रकरण में दिवाकर शर्मा ने खाद्य सुरक्षा पदार्थ mustard oil [mangal] kachi Ghani का विकय करके एफ0एस0एस0ए 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफ0एस0एस0ए 2006 एंव नियम 2011 की धारा 52 सपठित धारा 49 का में निर्धारित है। उक्त प्रकरण में अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

जरिये तलबी द्वारा अप्रार्थीगणों के तलब किया गया। अप्रार्थी गण ने जवाब पेश किया। जवाब मे अप्रार्थी गण ने परिवादी द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 बिन्दु स्वीकार किये। तथा बिन्दु संख्या 8 में खाद्य विश्लेषक के अनुसार लेबल पर अंकित घोषणा 6 Months from the date packing पर आपत्ति दर्ज की तथा साक्ष्य के तौर पर एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा जारी एडवाईजरी दिनांक 17 जनवरी 2020 की एक पन्ने की छाया प्रति पेश की है।

हमने परिवादी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगणों के द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना नही की है, तथा mustard oil [mangal] kachi Ghani का विकय करके एफ0एस0एस0ए 2006 की धारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

3(1)(zf)(c)(i) धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है। अतः खाद्य पदार्थ mustard oil[mangal] kachi Ghani का नमुना misbranded होना पाया गया है।

अतः अप्रार्थीगण पर एक हजार रूपये का जुर्माना किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाया जावें। तथा हिदायत दी जाती है कि अप्रार्थीगण भविष्य में खाद्य सुरक्षा नियमों की पुर्ण पालना करते हुऐ ही खाद्य पदार्थ का विक्रय करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर राज0